<u>आम सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउडेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउडेशन ऑफ इण्डिया) एक पंजीकृत सोसाइटी है, जिसकी पंजीयन संख्या- एस-2366 वर्ष 1963 है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय- 121 प्रथम तल, डी.एल.एफ गलेरिया, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली है तथा प्रशासनिक कार्यालय - वाता बी ब्लाक, आरोग्य धाम महर्षि नगर, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 - 201304 में स्थित है। इस सोसाइटी के महासचिव श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री जे0पी0 श्रीवास्तव है, के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम - घुटिया, मानेगॉव, तिखारी, थाना- बरगी, जिला -जबलपुर, पटवारी हल्का नं0 31 में स्थित है। इस भूमि को फर्जी एवं अवैध अधिकार पत्र के आधार पर अवधेश पाण्डेय, जी.आर. चन्द्रमोहन, रमेश सोनकेशरिया, अजेत प्रताप सिंह इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा अवैध एवं फर्जी सेलडीड का निष्पादन कर दिया गया है जिसके कारण इन व्यक्तियों के विरूद्ध थाना - बरगी, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश में एफ.आई.आर. संख्या 20/2024, धारा - 420, 409, 120बी तथा 34 आई.पी.सी. के अन्तर्गत पुलिस द्वारा दर्ज की गयी है। स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन आफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउण्डेशन आफ इण्डिया) की उपरोक्त भूमि को इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा पुनः अन्यत्र विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि उपरोक्त भूमि का क्रय-विक्रय किया जाता है तो सोसाइटी की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राम - घुटिया, मानेगॉव, तिखारी, थाना- बरगी, जिला -जबलपुर, म0 प्र0 की उपरोक्त भूमि से लगी हुई सोसाइटी की अन्य शेष भूमि भी किसी भी प्रकार से बिकाऊ नही हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस भूमि को बेचने का प्रयास किया जाता है तो वह गैर कानूनी होगा एवं सोसाइटी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

संजय कुमार चौबे
एडवोकेट
415, बृन्दावन की गली,
दीक्षितपुरा, जबलपुर,
म0 प्र0 - 482002
मो0 नं0 9425861927